न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 117/2017
दर्ज दिनांकः 22/09/2017
निर्णय दिनांक : 19/12/2017

ग्राम पंचायत मण्डावरी पंचायत समिति फागी जिला जयपुर जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मण्डावरी पंचायत समिति फागी जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम

उपस्थितः

श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
प्रतिवादी की ओर से पैरो0 राज0 उप0।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

निर्णय दिनांकः 19/12/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 01 के आराजी खसरा नंबर 942/672 रकबा 01 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम घटियाली तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसे भील समुदाय के लोग खाम मकान बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे से दर्शाया गया है, नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है, उक्त आबादी भूमि खसरा नंबर 672/2 रकबा 03 बीघा भूमि किस्म चारागाह में से 01 बीघा भूमि को आबादी में प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 में अपने आदेश क्रमांक/प्र.गा.रा./10/89 दिनांक 22/12/2010 द्वारा उक्त खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

में से 01 बीघा भूमि आबादी में भीलो की ढाणी घटियाली हेतु परिवर्तित की गयी थी जिसका अमल राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है लेकिन राजस्व नक्शे में उक्त आबादी भूमि की तरमीम नहीं हो रखी है इसलिये ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियो को पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है इसलिये आबादी विस्तार भूमि का नक्शा ट्रेस में तरमीम कर अंकन किया जाना न्यायोचित है वर्तमान में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भीलो ढाणी ग्राम घटियाली में बसी हुई है संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। ग्राम पंचायत मण्डावरी पंचायत समिति फागी के प्रस्ताव संख्या 17 द्वारा भीलो की ढाणी घटियाली के लिये संपरिवर्तन चाहा गया जिस पर उक्त भूमि में से 01 बीघा भूमि का भीलो की ढाणी घटियाली के लिए परिवर्तित की गयी है उक्त मूल खसरा नंबर 672/2 जो कि काफी बडा है में उक्त आबादी भूमि जो भीलो की ढाणी घटियाली के लिये आबादी में संपरिवर्तन हुई उसका राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रखी है वर्तमान में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भीलो की ढाणी बसी हुई है एवं इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायोचित है। ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है कि खसरा नंबर 942/672 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन आबादी भीलो की ढाणी घटियाली जहां पर भीलो की ढाणी बसी हुई है एवं भील समुदाय के लोग अपने खाम मकान एवं अपने मवेशियो के बाडे बनाकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिससे संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कई मर्तबा मौखिक व लिखित आवेदन करने पर ही उक्त खसरा नंबर 942/672 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन आबादी की जहां पर भीलो की ढाणी बसी हुई है कि तरमीम नहीं की इस पर दिनांक 07.07.2017 को अप्रार्थी को लिखित में आवेदन करने पर भी अप्रार्थी ने राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नही की इसलिये श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नंबर 942/672 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन आबादी भीलो की ढाणी घटियाली की तरमीम जहां पर वर्तमान में भीलो की ढाणी बसी हुई है के अनुसार जिसे प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में दर्शाया गया है के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गई। पैरोकार राज0 ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, शामिल पत्रावली की गयी।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि ग्राम घटियाली जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 1 में खसरा नंबर 942/672 रकबा 1 बीघा गै.मु. आबादी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। पूर्व में प्रस्तावित नक्शा तरमीम के उक्त खसरा नंबर में आबादी बसी हुई नहीं है। पटवारी द्वारा वर्तमान में नक्शे में प्रस्तावित नक्शा व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार आबादी बसी हुई है जो उक्त खसरा के लगवा है। ग्राम घटियाली के खसरा नंबर 942/672 में जो पटवारी द्वारा वर्तमान में नजरी नक्शा दिया गया है वही भीलो की ढाणी बसी हुई है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, रिपोर्ट तहसीलदार फागी, नजरी नक्शा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 942/672 रकबा 1 बीघा ग्राम घटियाली, तहसील फागी, जिला जयपुर गै.मु. आबादी दर्ज रिकॉर्ड है। आराजीयात की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो रखी है। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में पटवारी द्वारा वर्तमान प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किया जाना बताया है। न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्तमान प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है कि खसरा नंबर 942/672 रकबा 1 बीघा ग्राम घटियाली, तहसील फागी, जिला जयपुर की तरमीम, पटवारी मण्डावरी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी